कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़

क्र./अ.आ./वाक/तक./2011/ 5603 रायपुर, दिनांक 02/09/2011

प्रति,

अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त)
उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त)
सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (समस्त)
वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त)
छत्तीसगढ़

विषयः— कर की वापसी।

संदर्भः— इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक/आ.वा.कर/तक./2003/15, दिनांक 25.07.03

——00——

संदर्भित परिपत्र वाणिज्यिक कर अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा 39 में वापसी के प्रावधान दिये गये हैं। इस धारा की उपधारा–5 के अंतर्गत आदेश पारित किये जाने से **60 दिनों** के भीतर व्यवसायी को वापसी प्रदाय की जाना है, अन्यथा उसे आधा प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान दिया जाना है।

वाणिज्यिक कर आयुक्त के द्वारा अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाकर वापसी की स्वीकृति के अधिकार विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों को प्रत्यायोजित किये गये हैं। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/वाकआ/तक./63/2006/64, दिनांक 01.04.2006 द्वारा निम्नानुसार अधिकार दिये गये हैं:—

(i) यदि वापसी की राशि **₹ 50 हजार** से अधिक न हो तो वाणिज्यिक कर अधिकारी।

(ii) यदि **₹ 2 लाख** से अधिक न हो तो सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर।

(iii) यदि वापसी की राशि **₹ 5 लाख** से अधिक न हो तो उपायुक्त वाणिज्यिक कर।

(iv) **₹ 5 लाख** से अधिक वापसी की राशि की स्वीकृति आयुक्त/अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा।

.....2

वापसी स्वीकृति के अधिकारों के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा स्वयं वापसी के प्रकरणों का परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की जाना अपेक्षित है, इस संबंध में उक्त संदर्भित परिपत्र द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

इस कार्यालय की जानकारी में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा वापसी के प्रकरण सक्षम अधिकारी को सीधे न भेजते हुये अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जाते हैं। यह प्रक्रिया अपनाने के कारण वापसी के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब होता है, अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि वापसी के प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी को सीधे प्रेषित किये जावेंगे, जिससे वापसी की स्वीकृति में अनावश्यक विलंब न हो। अधीनस्थ अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इन स्पष्ट निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाय एवं ऐसी स्थिति निर्मित न हो, जिससे कि विभाग को अनावश्यक रूप से ब्याज की राशि का भुगतान करना पड़े। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है, तो जिम्मेदार अधिकारी से ब्याज की राशि की वसूली की जावेगी।

आशा है कि सभी अधिकारी उपरोक्त निर्देशो के अनुसार समय–सीमा में वापसी प्रदाय करने की कार्यवाही करेंगे।

(आर.के. त्रिवेदी)
अपर आयुक्त (तकनीकी)
वाणिज्यिक कर, छत्तीसगढ़